

मजदूर समाचार

राहें तलाशने - बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विवारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 149

पूत कपूत तो

क्यों धन संचिये?

पूत सपूत तो

क्यों धन संचिये?

(पूत का अर्थ पुत्री-पुत्र लें, अगली पीढ़ी लें।)

नवम्बर 2000

खत लिखना.....

ओखला से मजदूर : "दिल्ली में 1989 में आया। गाँव की जिन्दगी के बाद यह मेरे लिये शहर का पहला अनुभव था। रोजी- रोटी के लिये सबसे पहले मैंने तिलक नगर में बस पर हैल्परी की। उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी जिसकी वजह से मैं हैल्परी का भार न उठा सका और ओखला में चपरासी का काम करने लगा। चपरासी की नौकरी करते- करते जिल्लत झोलने की तो आदत पड़ गई लेकिन फिर भी ज्यादा दिन नहीं निकले। जरूरतों के आगे जिल्लत को कम महत्व दे कर मैंने काम जारी रखा लेकिन सौभाग्यवश कम्पनी ही बन्द हो गई। इसके बाद मैं वी.आई.पी. में हैल्पर के रूप में लगा और इस कम्पनी ने चार महीने बाद मुझे परमानेन्ट कर दिया। उसके बाद मैनेजमेन्ट ने कम्पनी का आदमी बता कर मुझे इस कदर दौड़ाया कि मुझे अपनी ही शक्ति पर यकीन नहीं होता था। इसलिये मैंने काम के तौर- तरीकों में काफी फेर- बदल किये जिन से तींग हो कर मैनेजमेन्ट ने 1995 में बिना किसी नोटिस के मुझे निकाल दिया। इसके बाद मैंने चाय और पान की दुकान की लेकिन इस दुकान से भी अपनी उम्मीदों का चिराग न जला सका। मेरे अन्दर बचे हाड़- माँस को दुकान ने इस कदर छूसा कि मैं चोरी करने को मजबूर हो गया और सन् 1998 में चोरी के जुर्म में तिहाड़ जेल गया। उसके बाद मैंने घर की पुताई का काम शुरू किया है। हालत ये है कि रोज 14 घण्टे काम करने के बाद भी पूरा नहीं पड़ता। पिछले तीन महीनों से ठेकेदार मुझ से लगातार काम करा रहा है लेकिन अभी तक (12 अक्टूबर) पेमेन्ट नहीं दिया।"

गाँव गया फैक्ट्री मजदूर : "गाँवों का तो हाल ही अजीब है। डर, लिहाज, संस्कार, सम्पत्ति, जातियों के आधार पर तो शोषण है ही, मैनेजमेन्टों की कार्यविधि इनके अलावा है। पैचायत राज समूह द्वारा ऋण के लिये गैर- सरकारी दलाल, गुण्डे, खलीफा, खबरी, चमचे आदि बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। अभी पैचायत राज के तहत ग्राम सभा गौरा, ब्लाक मास्थाता, जिला प्रतापगढ़ की एक घटना का सारांश : 17. 10. 2000 को ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई जिसमें ग्राम सभा प्रधान और ग्राम सभा सदस्यों

के बीच ग्राम विकास की योजना तैयार करनी थी। एक प्रधान व 11 सदस्य, कुल 12 व्यक्तियों की टीम बनाई गई थी। बैठक में एक सरकारी आदमी भी था। उसने कहा कि आप 12 आदमी कार्यवाही रजिस्टर पर अपना- अपना हस्ताक्षर कर दीजिये, मैं बाद में सारी योजना लिख दूँगा। उनमें से 5 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाही रजिस्टर पर कार्य योजना लिखने से पहले हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस पर सरकारी व्यक्ति (बहुउद्देशीय कर्मी) ने बेधड़क बैठक का समापन कर दिया, बस्ता समेटा और चलता बना।"

लुधियाना से मजदूर : "यहाँ की फैक्ट्रियों में भी हालात बहुत खराब हैं और लेबर कोर्ट में तारीखों के नाटक होते हैं। फोरमैन, सुपरवाइजर और मैनेजर की गुण्डागर्दी का विरोध करने पर हम 6 मजदूरों को स्टेन्डर्ड कम्बाइन्स, 10392 गली- 4 जनता नगर, भगवान चौक, लुधियाना की नौकरी से निकाल दिया गया था। हमने लेबर कोर्ट में केस किया और कोई फैसला होने की बजाय अभी तक लफड़ा चल ही रहा है। मैनेजर किसी चमचे को भेज देता है जो कि तारीख ले कर चला जाता है।"

बक्सर से पत्र : "दुमराँव (बक्सर) टैक्सटाइल मिल में लगभग 3400 वरकर कार्य कर रहे हैं। मिल में 69 मशीनें लगी हैं लेकिन दो साल से 18 मशीनें ही चलाई जा रही हैं। वरकरों को 30 रोज की बजाय 15 रोज कार्य दिया जाता है और बाकी दिन घर बैठना पड़ता है। एक साल तक बैठे दिनों के आधे पैसे मिलते थे पर अब वह भी नहीं। दाल- रोटी कैसे चले ? मिल की यूनियन का प्रधान मैनेजिंग डायरेक्टर का ही आदमी है। सामने हो कर थोड़ी- सी आना- कानी करने पर नेता नौकरी से निकलवा देता है और गुण्डागर्दी तो करता ही है।"

भुवनेश्वर से खत : "उड़ीसा में कोरापुट जिले के काशीपुर ब्लाक में विशाल- विराट कारखाना एवं उसकी खदानों की योजना का स्थानीय लोगों को तब पता चला जब सर्वे आरम्भ हुई। अल्युमिनियम बनाने के लिये बॉक्साइट रिफाइनरी का निर्माण और बॉक्साइट की खदानें (बाकी पेज चार पर)

वाह ! स्वागत !!

एस्कोर्ट्स मजदूर : "क्लास प्लान्ट में प्रोडक्शन वरकरों ने कैन्टीन वरकरों के समर्थन में सितम्बर माह में बीस दिन कैन्टीन का खाना- चाय छोड़ दिये। मजबूर हो कर मैनेजमेन्ट को कैन्टीन वरकरों की सुध लेनी पड़ी।"

मितासो वरकर : "घाटा हो रहा है कह कर मैनेजमेन्ट ने इस बार दीपावली पर उपहार नहीं दिया। इस पर 102 सैक्टर 24 प्लान्ट में मजदूरों ने दीपावली की पूर्व सम्म्या पर 25 अक्टूबर को मिठाई के डिब्बे लेने से इनकार कर दिया और बड़े साहब की मेज पर अठनी- रुपया यह कह कर रखे कि घाटा पूरा कर लो। हड्डबड़ाये बड़े साहब यही कहते रहे: 'क्या कर रहे हो ! यहाँ क्यों आ रहे हो ? जनरल मैनेजर के पास जाओ !' "

एस्कोर्ट्स मजदूर : "एक चार्जहैन्ड, श्री प्रभु दयाल, जिनकी दो वर्ष सर्विस बाकी है उन्हें यामाहा- राजदूत प्लान्ट में मैनेजरों ने बुला कर कहा कि वी.आर.एस. ले लो। प्रभु दयाल जी ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया। इस पर मैनेजमेन्ट ने उन्हें मशीन शॉप में लाइन पर पहली मशीन पर लोडिंग करने को कहा। यह प्रभु दयाल जी का काम नहीं है – हैल्पर से ऑपरेटर से सैटर से चार्जहैन्ड के लैटर मैनेजमेन्ट ने 35 वर्ष खटने के दौरान दिये थे। प्रभु दयाल जी ने कहा कि लिख कर आदेश दो तब मशीन चलाऊँगा। मैनेजमेन्ट ने लिख कर दिया नहीं और ऐसे में प्रभु दयाल जी ने मशीन पर लोडिंग की नहीं। लाइन की पहली मशीन बन्द तो पूरी लाइन बन्द ! दो दिन लाइन बन्द रहने और ऊपर से थू- थू बढ़ती देख मैनेजमेन्ट पीछे हटी – प्रभु दयाल जी को उनका चार्जहैन्ड का कार्य पुनः शुरू करने को कहा।"

अप्रेटिस

"न तो आई.टी.आई. करने से कुछ फर्क पड़ता और न उसके बाद अप्रेटिसशिप करने से। यह पूरा होने पर हमें कहीं कैजुअल वरकर की नौकरी ढूँढ़नी होगी।"

"सीखने भेजा है और सिखाने के नाम पर रखा है लेकिन आयशर ट्रैक्टर मैनेजमेन्ट ने हम अप्रेटिसों को उत्पादन में जोत दिया है। हफ्ते में एक दिन हमें आई.टी.आई. जाना होता है पर (बाकी पेज चार पर)

कानून-कानून-कानून....

न्यू एलनबरी मजदूर : “सितम्बर की तनखा आज 13 अक्टूबर तक नहीं दी है।”

सुपर सील वरकर : “सूरजपुर में नया प्लान्ट लगाया है और यहाँ हम तनखा माँगते हैं तो मैनेजमेन्ट कहती है कि पैसे नहीं हैं—7 से पहले की बजाय वेतन 20 तारीख के बाद।”

बी.पी.एल. मजदूर : “सितम्बर का वेतन आज 14 अक्टूबर तक नहीं दिया है। ओवर टाइम के 7 महीनों के पैसे नहीं दिये हैं।”

स्काईटोन केबल्स वरकर : “ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 1200-1300-1600 रुपये महीना देते हैं। न ई.एस.आई. है, न फण्ड है और कोई अधिकारी जाँच करने आता है तब मजदूरों को गेट बाहर कर देते हैं।”

एस.पी.एल. मजदूर : “12-12 घण्टे की दो शिफ्टें हैं। कोई ठेकेदार 12 घण्टे रोज की ड्युटी पर महीने के 1500 रुपये देता है तो कोई 1800 रुपये। ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड की पर्ची नहीं। एक्सीडेन्ट होने पर 3 महीने वाली ई.एस.आई. की टेम्परेशन पर्ची बना देते हैं।”

सिप्टर इण्डिया वरकर : “अगस्त की तनखा भी आज 17 अक्टूबर तक नहीं दी है। दो साल से डी.ए. के पैसे नहीं दिये हैं। दो साल का बोनस भी बकाया है।”

त्रिकुटा मैटल मजदूर : “हैल्परों को 1000-1200 और ऑपरेटरों को 1500 रुपये तनखा देते हैं। न ई.एस.आई. है और न फण्ड। फोरमैन बहुत भद्र दृग से पेश आता है।”

सेक्युरिटी गार्ड : “पेप्सी गोदाम पर ड्युटी है। आठ घण्टे की ड्युटी पर महीने की तनखा 1200 रुपये देते हैं। न ई.एस.आई. और न प्रोविडेन्ट फण्ड।”

दीपशिखा स्टेप्पिंग वरकर : “हैल्परों को सरकार द्वारा निर्धारित 1904 रुपये महीना नहीं देते और जब इच्छा होती है थप्पड़ मार देते हैं। हैल्परों की न ई.एस.आई. है और न फण्ड।”

कन्फूर पावर प्रोजेक्ट मजदूर : “250 वरकर हैं जिनमें से 220 कैजुअल हैं। हम कैजुअलों के फार्म भरते हैं पर ई.एस.आई. कार्ड किसी को नहीं दिया है। तनखा 1900 बताते हैं पर देते 1600 रुपये ही हैं।”

सुड ट्रैक वरकर : “प्लॉट 28 सैक्टर-6 में इंडिया फोर्ज भी है, बस नाम अलग-अलग हैं। आठ सौ मजदूरों में मात्र 10-12 परमानेन्ट हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। तनखा 1200-1400-1500 रुपये महीना। हर रोज 4 घण्टे ओवर टाइम जिसकी पेमेन्ट डबल की बजाय सिंगल रेट से है।”

चन्दा इन्टरस्प्राइजेज मजदूर : “कैजुअल वरकरों को महीने का वेतन 1350 रुपये ही देते हैं। हर रोज 4 घण्टे ओवर टाइम काम करना कम्पलसरी है और इसकी पेमेन्ट सिंगल रेट से है।”

बोनी रबड़ वरकर : “ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को 1000-1100-1200 रुपये महीना ही देते हैं। सितम्बर के वेतन के यह पैसे भी आज 19 अक्टूबर तक नहीं दिये हैं। हमें ई.एस.आई. कार्ड भी नहीं दिये हैं।”

नूकैम मजदूर : “एन एम टी एल में जुलाई-अगस्त-सितम्बर की तनखायें भी आज 19 अक्टूबर तक नहीं दी हैं। हम ने आजमा कर देख लिये, नियम-कानून-संविधान और सरकार की बातें नहीं करना ही मजदूरों के हित में है। खुद करने से ही कुछ होगा।”

स्वीट होम एप्लाइन्सेज वरकर : “कम्पनी मीठी नहीं बल्कि बहुत कड़वी है। सुबह 9 से रात 9 बजे तक रोज काम करवाते हैं। मैनेजर साहब हमेशा गाली देते रहते हैं। पहले 8 घण्टे के 1400 रुपये महीना देते थे पर अब 8 घण्टे के 1000 रुपये महीना के हिसाब से पैसे देते हैं।”

प्रोविडेन्ट फण्ड : किस की भविष्य निधि ?

श्रीमान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सैक्टर-15, फरीदाबाद

विषय : भविष्य निधि कार्यालय द्वारा कानूनों व नियमों की घजियाँ उड़ाना और मजदूरों के भविष्य निधि के पैसे ढुबोने में सहयोग देना।

महोदय,

हम झालानी टूल्स (इण्डिया) लिमिटेड के फरीदाबाद प्लान्टों के मजदूर हैं। वर्षों से भविष्य निधि कार्यालय ने हमें फण्ड स्लिप नहीं दी है जबकि हर वर्ष देनी चाहिये। हमें एक बार भी लिखित में कार्यालय ने सूचना नहीं दी है कि भविष्य निधि का हमारा कितना पैसा जमा नहीं है। भविष्य निधि कार्यालय नोटिस बोर्ड पर दिनांक 1.4.98 अंकित नोटिस में लिखा है कि अगस्त 1994 से मार्च 1996 के दौरान मजदूरों के 2 करोड़ 31 लाख 7 हजार रुपये भविष्य निधि के झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने जमा नहीं करवाये हैं। मार्च 1996 से 17 जुलाई 2000 के बीच की हमारी भविष्य निधि राशि की कोई सूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय से हमें नहीं दी गई है।

2. हम में से कुछ मजदूरों ने लिखित में झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा नहीं करने की शिकायतें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से की। हमारी शिकायतों का लिखित में कोई उत्तर आपके कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया। भविष्य निधि अधिकारियों ने जबानी तौर पे हमें बताया था कि झालानी टूल्स का मामला बी.आई.एफ.आर. के तहत है इसलिये भविष्य निधि कार्यालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इधर 17.7.2000 को बी.आई.एफ.आर. द्वारा झालानी टूल्स को वाइन्ड अप करने का आदेश दिये जाने के बाद हम भविष्य निधि अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने कहा कि वे बी.आई.एफ.आर. को कुछ नहीं मानते। श्रीमान, कृपया जबानी जमा-खर्च खत्म कर लिखित में स्थिति स्पष्ट करें।

3. भविष्य निधि अधिकारियों की उल्टी-पल्टी बातें सुन कर हम ने कानूनी सलाह ली है। हमें बताया गया है कि भविष्य निधि सम्बन्धी कानून संसद द्वारा पारित है और यह किसी प्रकार से बीमार कम्पनियों सम्बन्धी कानून के तहत गठित बी.आई.एफ.आर. से कम नहीं है। कम्पनी का मामला 1987 से बी.आई.एफ.आर. में है और इस दौरान हर महीने हमारी भविष्य निधि की राशि सुनिश्चित करने के अधिकार व जिम्मेदारी कानून ने भविष्य निधि कार्यालय को दी है। कृपया जाँच करवायें कि हमारे भविष्य निधि के करोड़ों रुपये क्यों नहीं जमा करवाये गये और जाँच से प्राप्त जानकारियाँ हमें भी लिखित में दें।

4. भविष्य निधि कार्यालय हमारी भविष्य निधि की सुरक्षा का जिम्मेदार है। झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट ने हमारी भविष्य निधि के करोड़ों रुपये जमा नहीं करवाये। बी.आई.एफ.आर. ने समाचारपत्रों में विज्ञापन छपवा कर झालानी टूल्स लिमिटेड को वाइन्ड-अप करने के अपने मन्तव्य की जानकारी दी और 17.7.2000 को उन सब को बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उपस्थित होने का आमन्त्रण दिया जिनके हित झालानी टूल्स कम्पनी से जुड़े हैं। श्रीमान, भविष्य निधि कार्यालय की तरफ से 17.7.2000 को बी.आई.एफ.आर. के समक्ष कोई उपस्थित नहीं हुआ। कृपया कर्तव्य के प्रति इस घोर अवहेलना का कारण हमें लिखित में बतायें।

5. श्रीमान, 17.7.2000 को बी.आई.एफ.आर. की बैंच नम्बर-1 ने झालानी टूल्स (इण्डिया) लिमिटेड को वाइन्ड-अप करने का निर्देश दिया। इस आदेश की प्रति बी.आई.एफ.आर. ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भी भेजी। हमें ताज्जुब हुआ जब क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने सितम्बर माह के अन्त तक लिखित में हमें कहा कि झालानी टूल्स स्थापना वाइन्ड-अप नहीं है। कृपया इस गडबड़-घोटाले की जाँच करवायें तथा समुचित कार्रवाई करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत भविष्य निधि कार्यालय कानूनों, नियमों व कर्तव्यों की घोर अवहेलना लापरवाही की बजाय अन्यत्र कारणों से करता लगता है। मामला करोड़ों रुपये का है इसलिये कृपया समुचित जाँच करवायें। श्रीमान से यह भी अनुरोध है कि हमारे भविष्य निधि के पैसे वसूलने के लिये अब तो शीघ्र कार्रवाई करें तथा हमें भी लिखित में जानकारियाँ दें।

— हम हैं झालानी टूल्स लिमिटेड के मजदूर

फरीदाबाद मजदूर समाचार

हेकफ्री दर हेकफ्री

एन.एस.पी. फोरजिंग मजदूर : “ई.एस.आई. कार्ड है पर मेडिकल छुट्टी के पैसे नहीं मिलते – लोकल आफिस वाले कहते हैं कि हाजरी कम हैं। पी.एफ. की अब जो पर्ची दी है उसका नम्बर पिछली पर्ची से अलग है। कुछ का तो तीन बार नम्बर बदल दिया है। पूछने पर मैनेजमेन्ट कहती है कि नम्बर बदलने से क्या होता है।”

शिवानी लॉक्स वरकर : “400 में से 250 मजदूरों को मैनेजमेन्ट ने ठेकेदारों के वरकर दिखा रखा है जबकि ठेकेदार ही नहीं। ब्रेक कर मैनेजमेन्ट इन मजदूरों को रखती रहती है, परमानेन्ट नहीं करती। ड्युटी के बाद रोज दो घण्टे ओवर टाइम, पेमेन्ट सिंगल रेट से।”

जगसन पाल फार्मास्युटिकल मजदूर : “बरसों कैजुअल इसलिये रखते हैं कि साल में प्रति वरकर 8-10 हजार रुपये का फर्क तो तनखा में ही पड़ जाता है। दिहाड़ी भी कैजुअलों को 74 की बजाय 64 रुपये की देते हैं। पाँच-छह सौ कैजुअल वरकर हैं – ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड की पर्ची नहीं। चोट लगते ही बैक डेट से ई.एस.आई. कार्ड बनवा देते हैं। साप्ताहिक व त्यौहारी छुट्टी देते हैं पर उनके पैसे काट लेते हैं! कैजुअलों को बोनस नहीं.... वैसे बीस साल पुराने परमानेन्टों की भी तनखा तीन हजार से कम है। दवाई-पाउडर का असर सब पर है – चेहरे पीले पड़े हैं।”

विक्टोरा टूल्स वरकर : “मारुति में यूनियन ने हड्डताल की हुई है। फरीदाबाद में सैकड़ों फैक्ट्रियों में मारुति के पार्ट्स बनते हैं। मारुति मैनेजमेन्ट हर पार्ट्स सप्लाई करने वाली कम्पनी से 5-10 मजदूर गुडगाँव भेजने को कह रही है। वहाँ पुलिस के पहरे में इन मजदूरों को फैक्ट्री के अन्दर ही रखा जा रहा है और कारें बनवाई जा रही हैं।”

अनुल ग्लास मजदूर : “मँडी में माँग कम थी इसलिये सितम्बर के आरम्भ से मैनेजमेन्ट दो डिपार्टमेन्टों में ही उत्पादन करवा रही थी। मजदूरों की अगरत व सितम्बर की तथा स्टाफ की जुलाई-अगस्त-सितम्बर की तनखायें बढ़ाया हो गई। मैनेजमेन्ट ने अन्त-शन्त आरोप लगा कर 16 अक्टूबर को फैक्ट्री में तालाबन्दी कर दी। मैनेजमेन्ट ने एक आरोप यह लगाया है कि मजदूरों ने फैक्ट्री में स्टाफ को मारा-पीट नहीं हुई। मैनेजमेन्ट का दूसरा आरोप यह है कि मजदूरों ने फैक्ट्री में हिजड़ों को नचाया जबकि हर वर्ष की भाँति इस साल भी हिजड़ दीपावली पर पैसे लेने अन्य फैक्ट्रियों की ही तरह अनुल ग्लास में भी पहुँचे थे।”

उषा टेलिहोइस्ट वरकर : “खूब हेराफरी है। स्टाफ को छेड़ कर मैनेजमेन्ट ने 21 जुलाई

को फैक्ट्री में तालाबन्दी की। फिर अचानक 16 अगस्त को मैनेजमेन्ट ने तालाबन्दी सम्पादन की तो यूनियन ने हड्डताल कर दी। दरअसल 1998 में मैनेजमेन्ट ने 4 तो सी.एन.सी. मशीनें ही लगाई हैं – एक सी.एन.सी. 22 मजदूरों को फालतू बनाती है। ऑफिस में कम्प्युटर लगाये हैं जिन से स्टाफ में कई फालतू हो गये हैं। मैनेजमेन्ट ने वी.आर.एस.लगाई पर नौकरी छोड़ने को कोई तैयार नहीं हुये। इसलिये यह तालाबन्दी - हड्डताल की जुगलबन्दी। 24 अगस्त को स्टाफ के बीच मार-पीट तथा 3 अक्टूबर को मैनेजरों वाली मार-पीट ने जाल को और कसा है। मैनेजमेन्ट ने वरकरों और स्टाफ, दोनों को धार पर धरा है। ऐसे में ‘मजदूरों का स्टाफ से क्या लेना-देना’ अथवा स्टाफ का वरकरों से क्या रिश्ता’ जैसी फैलाई जा रही बातें बेड़ा गरक करने की राहें हैं।”

वर्द्धमान स्पेशल स्टील मजदूर : “लुधियाना से कच्चा माल मँगाना बन्द कर मैनेजमेन्ट ने ठेकेदारों के जरिये रखे सब वरकरों को निकाल दिया। फैक्ट्री बन्द कर रहे हैं कह कर मैनेजमेन्ट ने 90 चपरासियों चौकीदारों व सुपरवाइजरों से जबरन इस्तीफे लिखवाये और ठेकेदार के जरिये नये चौकीदार रख लिये। बचे परमानेन्ट 85 प्रोडक्शन वरकरों को मैनेजमेन्ट ने फैक्ट्री में लगे पेड़ काटने में लगाया और इस्तीफों के लिये दबाव बढ़ाया। मजदूरों के यह कहने पर कि फैक्ट्री बन्द करनी है तो श्रम विभाग से अनुमति का नोटिस लगाओ, मैनेजमेन्ट ने लुधियाना ट्रान्सफर की धमकी दी। मजदूरों ने ट्रान्सफर लैटर माँगे तो एक ऊपर लैटर दे कर 27 सितम्बर को मैनेजमेन्ट ने 5 का वैसे ही गेट रोक दिया। हेराफेरी से नौकरी छुड़वाने में असफलता मैनेजमेन्ट को खुली गुण्डागर्दी पर ले आई है।”

ईस्ट इण्डिया कॉटन मिल मजदूर : “12 सितम्बर 96 से फैक्ट्री में तालाबन्दी है। इधर कम्पनी बीमार घोषित कर दी गई है और बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में पहुँच गई है। मजदूरों की लेनदारियों को रफा-दफा करने के लिये जाल बुना जा रहा है। कम्पनी को स्वस्थ करने की योजना के नाम पर यह करने की कोशिशें हो रही हैं। इस दौरान 2200 परमानेन्ट में 1700 ही बचे हैं और इनमें से भी 900 की बलि माँगी जा रही है। बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में ईस्ट इण्डिया मैनेजमेन्ट झालानी टूल्स मैनेजमेन्ट की तरह लूट-खसूट के लिये जुगत मिला रही है।”

दिल्ली-नोयडा-राजस्थान

नोयडा कार्यरत मजदूर : “नोयडा में भी मजदूरों का फरीदाबाद जैसा ही हाल है। कई कम्पनियों में 1000-1200 रुपये महीना तनखा देते हैं और न ई.एस.आई. है, न प्रोविडेन्ट फण्ड। नोयडा प्रशासन भी मजदूरों की सुनता ही नहीं।”

एयरपोर्ट वरकर : “पालम हवाई अड्डे पर माल लादने-उतारने का काम 1500 मजदूर करते हैं। काम बहुत सख्त है और दो ठेकेदारों के तहत हम हैं। परमानेन्ट होने के लिये हम ने एक यूनियन का पल्लू पकड़ा। यूनियन ने तीन महीने हड्डताल करवाई पर हमें कुछ नहीं मिला। ऊपर से यूनियन हर महीने चन्दे के तौर पर हम से 10-20-50 रुपये लेती है। परमानेन्ट करवाने के लिये किये केस के बास्ते नेता लोग अलग से भी पैसे लेते हैं।”

राजस्थान रोडवेज कन्डक्टर : “कुछ कैटेगरियों में तो 1983 से भर्ती नहीं की है। कुछ काम ठेकेदारों को दे दिये हैं फिर भी परमानेन्ट वरकरों पर भारी वर्क लोड है। हमारी छुट्टियाँ बकाया रहती हैं फिर भी बहुत जरूरी काम पड़ने पर दस दिन पहले छुट्टी के लिये आवेदन करते हैं तब भी छुट्टी नहीं देते। हम छुट्टी कर लेते हैं तो हमारी अनुपस्थिति तो लगा ही देते हैं, यह कह कर कि इतने-इतने समय गाड़ी रुकी रही जुर्माना भी लगा देते हैं। वरकर बहुत कम है इसलिये बहुत-सों की हर रोज ही 12 घण्टे की ड्युटी हो जाती है। जबरन ओवर टाइम काम करवाते हैं पर महीने में 120 घण्टे ओवर टाइम के हो जाने पर नियमों की बात कर 100 घण्टे के ही पैसे देते थे। इधर तो और भी हद कर रखी है – निगम घाटे में है कह कर ओवर टाइम काम के पैसे डेंड साल से नहीं दिये हैं।”

नोयडा से मजदूर : “हम एफ-1, सैक्टर-11 नोयडा स्थिति कपिल एक्सप्रोट्रेस में काम करते हैं। कम्पनी ने न्यूनतम वेतन पर स्वयं 100 वरकर रखे हैं और 300 वरकर ठेकेदारों के जरिये रखे हैं जिन्हें 8 घण्टे ड्युटी के महीने में 1200 रुपये देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी बताते हैं पर देते नहीं हैं – जबरदस्ती काम करवाते हैं और ओवर टाइम कहते हैं पर पैसे सिंगल रेट से देते हैं (5 रुपये घण्टा, 8 घण्टे के 40)। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों से रोज 11 घण्टे ड्युटी करवाते हैं और ऐसे कई वरकरों का एक घण्टा लन्च-चाय के नाम पर खा जाते हैं। कपिल और उसकी बीबी फैक्ट्री में कुर्सी डाले बैठे रहते हैं – साहब पुरुष मजदूरों को गालियाँ देता है और मेसासाहब महिला मजदूरों को गालियाँ देती है। साहब अक्सर कॉलर पकड़ का उठा लेता है और थप्पड़ मार देता है – 11 अक्टूबर को उसने दो प्रेसमैन और एक पैकिंग वरकर के साथ ऐसा किया। ‘अरजेन्ट’ कहते हैं तब लन्च भी नहीं करने देते और कम्पनी ने जिन महिलाओं को रखा है उनसे रात 11 बजे तक काम करवाते हैं – इक्की-दुक्की को कम्पनी की गाड़ी छोड़ने जाती है, ज्यादातर को अपने आप रिक्शा करके जाना पड़ता है। कैन्टीन नहीं है, ई.एस.आई.कार्ड नहीं दिये हैं, प्रोविडेन्ट फण्ड नहीं है। तनखा 7 से पहले नहीं बल्कि 12 से 20 तारीख के बीच। दीपावली से पहले अधिकतर वरकरों को ब्रेक दे कर 15 दिन बैठा रहे हैं ताकि मिठाई-विठाई भी नहीं देनी पड़े।”

क-ख-ग 4

100 द्वारा 5 को मानना - झेलना - चुनना और उन पॉच के फैसलों का सौ द्वारा पालन करने को एकता कहा जाता है। प्रतिनिधियों - नुमाइन्डों - नेताओं के एकमत हो जाने, एक राय हो जाने को पूर्ण एकता कहा जाता है। एकता, पूर्ण एकता को रामबाण कहा जाता है, हर मर्ज का इलाज बताया जाता है।

लेकिन अनुभव दर अनुभव है कि एकता - पूर्ण एकता मजदूरों का नहीं बल्कि मजदूरों के खिलाफ मैनेजमेन्टों का रामबाण है। एकता का किस्सा नेताओं के 'बिक जाने' से समाप्त होता हो अथवा नेताओं के 'बलिदान' से, नतीजा होता है मजदूरों की अधिक दुर्दशा।

होता यह है : पॉच के आदेश पर 100 द्वारा कदम उठाना आमतौर पर साल - दो साल में एक बार कदम और एक समय पर एक कदम का सिलसिला लिये है। सौ द्वारा एक कदम उठाना उन्हें साफ तौर पर दीखने वाला निशान बना देता है, टारगेट में बदल देता है। और, सरकारों - मैनेजमेन्टों ने टारगेटों से निपटने के लिये धारदार नियम - कानून - तन्त्र विकसित किये हुये हैं। ऐसे में नेताओं का आमतौर पर 'बिक जाना' और जब - तब 'कुर्बान' हो जाना सामान्य क्रिया है। वास्तव में, सौ को 5 में बदलना 100 पर नियन्त्रण को आसान बनाता है। एकता का तन्त्र है - 100 को 5 बनाना, 100 की गतिविधियों को 5 की भाग - दौड़ में सिकोड़ना और प्रतिदिन के अनेक कदमों को साल - दो साल में एक कदम में समेटना।

एकता के उलट है हर मजदूर द्वारा स्वयं एवं तालमेल से हर रोज अनेक कदम उठाना।

होता यह है : हर रोज खटने जाना पड़ता है। बेमतलब का, बोझिल, उबाऊ और थकाऊ काम करने की मजबूरी होती है। ऐसे में प्रत्येक मजदूर में हर समय गुस्सा - भड़ास - विरोध खदकते रहते हैं जो कि कभी यह तो कभी वह कदम उठाने के प्रेरक बनते हैं। हर रोज अगल - बगल में और डर के साथ में खटते हैं इसलिये आपस में कई प्रकार के तालमेल भी बनते रहते हैं। अतः इस प्रकार से सहज - सरल कदम उठाये जाते हैं कि चिन्हित नहीं हों, निशाना नहीं बनें, टारगेट नहीं बनें। प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन बीसियों कदम उठाती है, हर मजदूर हर रोज दसियों कदमों में सॉझीदार होता है। इससे होता यह है कि सौ मजदूरों की प्रतिदिन की औकात ही दसियों हजार के बराबर होती है, साल - भर में सौ लोग ही करोड़ के समान होते हैं और तब भी वे अदृश्य बने रहते हैं। इसीलिये आमतौर पर एक तो मजदूर टारगेट नहीं बनते और दूसरी बात यह है कि मजदूरों की क्षमता अनन्त - सी है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जै० क० आफसैट दिल्ली से सुनित किया।

तुँगली - अँगूठा - हाथ

स्वास्तिक इन्टरप्राइजेज मजदूर : "90 परमानेन्ट और 200 कैजुअल वरकर हैं। कैजुअलों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। पावर प्रेस का काम है - महीने में एक - दो के हाथ कट ही जाते हैं। प्रायवेट में इलाज करवा कर मैनेजमेन्ट हाथ कटे मजदूर को निकाल देती है।"

सुपर आटो वरकर : "मैं, राजेन्द्र प्रसाद, 1995 से सुपर आटो के प्लान्ट - II में काम कर रहा था। दो बार फैक्ट्री में हुये एक्सीडेन्टों में मेरी उँगली और अँगूठा कटे। मैनेजमेन्ट ने एक्सीडेन्ट रिपोर्ट नहीं भरी और दोनों बार प्रायवेट में मेरा इलाज करवाया। अचानक 4.10.99 को मैनेजमेन्ट ने लिखित में कुछ भी दिये बिना मुझे नौकरी से निकाल दिया।"

कन्सोलिडेटेड प्लास्टिक मजदूर : "एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं - ज्यादातर के हाथ कटते हैं। कैजुअल और टेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं। चोट लगने पर दो - चार दिन पट्टी करवा देते हैं - जिसका हाथ कट जाता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं। कैजुअलों को 1500 और टेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 1200 रुपये महीना वेतन देते हैं। हर रोज 12 घण्टे काम लेते हैं और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन के पैसे नहीं देते। लगातार हम पर काम का बोझ बढ़ाते रहते हैं और मैनेजर बहुत गालियाँ देता है।"

इमिका वरकर : "तनखा 1200 रुपये महीना ही देते हैं। एक्सीडेन्ट बहुत होते हैं। हाथ कटने, पैर टूटने पर बैक डेट से ई.एस.आई. बनवाते हैं।"

मितासो एप्लाइन्सेज मजदूर : "मैं, तारकेश्वर, 20-22 फरवरी को पावर प्रेस ऑपरेटर के तौर पर भर्ती हुआ था। आठ जून को रात 10 बजे प्रेस का स्प्रिंग टूट गया और मेरा बाँया हाथ प्रेस में आ गया। मेरी चार उँगलियाँ कट गई। मैनेजमेन्ट मुझे शर्मा नर्सिंग होम ले गई और वहाँ टाँके लगा कर मुझे वापस भेज दिया। कम्पनी ने एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरी और 9 जून को मुझे ई.एस.आई. अस्पताल ले गई। मैं मितासो एप्लाइन्सेज में फरवरी से काम कर रहा था पर ई.एस.आई. कागजों में 6 जून से भर्ती दिखाया। मेरे कटे हाथ का ई.एस.आई. में इलाज चला और 31 जुलाई को डॉक्टर ने मेडिकल फिटनेस दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट फैक्ट्री में देने पर मुझे अगले रोज से ड्युटी आने को कहा। पहली अगस्त को मैं फैक्ट्री पहुँचा तो मुझे यह कह कर गेट पर रोक दिया कि जनरल मैनेजर आयेगा तो बात करेंगे। फिर टाइम ऑफिस वाले बोले कि जी एम साहब कह रहे हैं कि ड्युटी पर नहीं रखेंगे। मैं यूनियन लीडरों से मिला तो वे बोले कि बात करेंगे। मेडिकल फिटनेस दिये ढाई महीने हो रहे हैं और आज 10 अक्टूबर तक मैनेजमेन्ट ने मुझे ड्युटी पर नहीं लिया है।"

सुपर आटो वरकर : "प्लॉट 84 सैक्टर-6 प्लान्ट में परमानेन्ट सिफ 7 हैं। कैजुअल 50 और टेकेदारों के जरिये रखे 70 वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं। चोट लगने पर प्रायवेट में इलाज करवाते हैं। एक कैजुअल का हाथ कटा तो प्रायवेट इलाज करवा कर उसे नौकरी से निकाल दिया - हाँ, 4 दिन की भर्ती दिखा कर बैक डेट से ई.एस.आई. कार्ड बनवा दिया।"

खत लिखना..... (पेज एक का शेष)

प्रकृति का विनाश तथा 102 गाँवों की उजाड़ - बरबादी लिये हैं। लोगों ने 'प्राकृत सम्पदा सुरक्षा परिषद' का गठन कर मेंगा प्रोजेक्ट का विरोध किया तो कम्पनी ने पुलिस बुला ली। बिना किन्हीं नेताओं का पिछलगु बने स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। जगह भुवनेश्वर से 460 किलोमीटर दूर है फिर भी मेरे दोस्त और मैं बारी - बारी से महीने में हफ्ते - दो हफ्ते वहाँ जा कर रहते हैं और मैत्री के आधार पर हम लोग स्थानीय लोगों द्वारा किये जा रहे राक्षसी प्रोजेक्ट के विरोध में सहभागी हैं। एक चीज हम देख रहे हैं कि इन मुददा - आधारित विरोधों - संघर्षों में मुददे की समाप्ति के साथ ही विरोध - संघर्ष समाप्त हो जाता है। वैकल्पिक - आलटरनेटिव समाज रचना के वास्ते इन मुददा - आधारित की क्षमता पर विचार करने की आवश्यकता है।" (अँग्रेजी से अनुवाद)

अप्रेन्टिस..... (पेज एक का शेष)

आयशर मैनेजमेन्ट ने दो महीनों से वह बन्द करवा दिया है और आई.टी.आई. वाले दिन भी हम से फैक्ट्री में उत्पादन करवाती है। मैनेजमेन्ट ने बड़ी संख्या में मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है और हम अप्रेन्टिसों को जबरदस्ती ओवर टाइम काम के लिये रोकती है। कोई लड़का ओवर टाइम पर रुकने से मना करता है तो मैनेजर के पास उसकी पेशी।

"इन्डस्ट्रीयल एरिया में टेकमसेह प्लान्ट बन्द है। यहाँ पीने के पानी तक का प्रबन्ध नहीं है। फिर भी टेकमसेह मैनेजमेन्ट हम अप्रेन्टिसों को इस प्लान्ट में रखे हैं। यह तो मैनेजमेन्ट ही जाने कि बन्द फैक्ट्री में हमें बन्द रख कर क्या सिखा रही है, किस चीज की ट्रेनिंग हम अप्रेन्टिसों को दे रही है।"

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,

आटोपिन झुग्गी,

एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001

कर्प्टाक जानलेवा है

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जै० क० आफसैट दिल्ली से सुनित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/H/R/FBD/73

सौरभ लेजर टाइपसेटर्स, बी-546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसेट।